वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के अभिमत से सहमत होते हुए प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 11 /08/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

11/8/23

(व्ही श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–921/1981 रायपुर, दिनांक 16 /08/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय: – धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु **PWD (B&R) Division Dhamtari** द्वारा **Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culvert and bridge work, Total length 35 Km within is proposed 23.715 Km length, Forest land diversion** हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत।

– पंजीयन कमांक – **FP/CG/ROAD/ 151953/ 2022 Dated 04-05-2022**

संदर्भ: – मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक. शा./रा./ 8376 दिनांक 31.07.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culvert and bridge work, Total length 35 Km within is proposed 23.715 Km length, Forest land diversion के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07)– आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र–Iमें रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 08 से 10)–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक –FP/CG/ROAD/151953/2022दिनांक 04.05.2022 को आबंटित किया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11)–कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37.973 हे. आरक्षित वन भूमि मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए वनभूमि के गैर वानिकी

उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत मांग किया गया है। जिसका विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 17)— मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य अंतर्गत धमतरी जिले के 05 ग्रामों का 20.721 हे. राजस्व/निजी भूमि प्रभावित हो रहा है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 19)— सर्वे ऑफ इंडिया के 1:50000 स्केल मानचित्र पर चिन्हांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 21)— मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रस्तावित वन क्षेत्र को वन प्रबंधन सूचना प्रणाली नवा रायपुर से प्राप्त स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) शीट क्रमांक 64/H/13/A3,64/ H/14/A1,64/H/14/ A2,64/H/14/B2,64/H/ 14/B3, 64/H/15/B1एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) शीट क्रमांक 64/H/09,64/H/10,64/H/13,64/H/14, 64/H/15 में चिन्हांकित कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। स्टॉक मानचित्र (स्केल 1:15000) एवं वनस्पति मानचित्र (स्केल 1:50000) बुकलेट क्रमांक 02 में संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र— 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 30)— प्रपत्र—4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37. 973 हे. आरक्षित वनभूमि तथा 20.721 हे. राजस्व/निजी भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 7062.11 लाख बतायी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 31)— व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में धमतरी वनमंडल अंतर्गत 37. 973 हे. आरक्षित वनभूमि के लिए प्रोजेक्ट का विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है। जिसके अनुसार मार्ग की कुल लंबाई 35.00 कि.मी. है, जिसमें में 23.715 कि.मी लंबाई वनक्षेत्र से गुजर रहा है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32)— आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33)— आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होने तथा मांग की गई 37.973 हे. वनभूमि न्यूनतम होने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 43)— आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी द्वारा मेघा—सिंगपुर—दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना

दिनांक 14.09.2006 को प्रस्ताव में संलग्न कर परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र– अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 46)– मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र में कुल 2498 वृक्ष प्रभावित हो रहें है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 47 से 54)– प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य परियोजना का कास्ट बेनीफिट अनुपात 1:8.269 है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)/ राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 55 से 56)– प्रकरण में गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नही है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 57)– प्रकरण में आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है होने के कारण इससे संबंधित अभिलेखों की आवश्यकता नही है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 98)– प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि के एवज में दुगुने बिगडे वनो के सुधार के तहत महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. का चयन किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन 9,66,666/– प्रति हे. की दर से वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा द्वारा तैयार किया गया है, जो उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा हस्ताक्षरित है। 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 100)– प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु महासमुंद वनमंडल अंतर्गत पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 287 रकबा 76.00 हे. चयनित क्षेत्र का वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा, उप वनमंडलाधिकारी पिथौरा तथा वन मंडलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 101) – मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए धमतरी वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित 37.973 हे. आरक्षित वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 102)– वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 103)– प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 104 से 105)– वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2022 को प्रदान किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 106)– प्रकरण मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण प्रस्ताव में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 107)– प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 108)– प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लानकी आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 109)– प्रस्तावित परियोजना में किसी को विस्थापित नहीं किया जा रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 110 से 122)– प्रस्तावित मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित वनक्षेत्र का प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल द्वारा दिनांक 11.05.2023 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 31.07.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 123)– मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 124 से 132)– मेघा–सिंगपुर–दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में मार्ग निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 133)– धमतरी जिला में 205632.00 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं 6922.00 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कुल 212554.00 हेक्टेयर वनभूमि विद्यमान है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 134 से 135) – धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कुल स्वीकृत 18 प्रकरणों में 588.207 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुआ है। स्वीकृत प्रकरणों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 136)– धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल 01 प्रकरण में 25.147 हे. वन भूमि व्यपवर्तित किया गया है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 137)– प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित/प्रस्तावित नहीं है और ना ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 238 से 138)– प्रकरण खनन से संबंधित न होने के कारण 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकनकी आवश्यकता नहीं है। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 142)– वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 143 से 145)– राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व वन भूमि प्रभावित न होने संबंधी कलेक्टर जिला धमतरी का दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 146) – प्रभावित 37.973 हे. वनभूमि के एवज में आवेदक संस्थान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन दिया गया है। वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance(प्रस्ताव पृष्ठ 147)– शर्त के परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा खाता में समस्त राशि जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it(प्रस्ताव पृष्ठ 148)– आवेदित वनक्षेत्र में सामान्यता उथली से मध्यम गहराई की मृदा है तथा मृदा का प्रकार सैंडी लोम है, जिसमें पेबल्स एवं ग्रेवल्स (छोटे बड़े पत्थर युक्त) है, जिसकी ऊर्वरा शक्ति न्यून है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 149)— प्रभावित परियोजना रकबा 37.973 हे. वनभूमि में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ न करने का आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 150)— केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 153)— बिन्दु क्रमांक—2 में दर्शाया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 154)— व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है। अतः इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नही है। आवेदक संस्थान तथा वनमंडलाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 155)— प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc)कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 156 से 237)— आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित सड़क के लॉगिट्यूडनल सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन का नक्शा, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोट (पृष्ठ क्र. 161 से 204) तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोट (पृष्ठ क्र. 205 से 237) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

संलग्नः—
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग—4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/115—921/ 1932 — रायपुर, दिनांक 16 /08 /2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, धमतरी वन मंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़